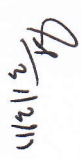


भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला पन्ना के अन्तर्गत उत्तर वन मण्डल पन्ना के परिक्षेत्र अजयगढ़ के वन खण्ड देवरभापतपुर ब, उदयपुर, मझगांवा एवं बजरंगपुर-1 के कक्ष क्रमांक पी.-177, पी.-181, पी.-188, पी.-189 एवं पी.-190 की 383.932 हेक्टेयर तथा पन्ना टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन के वन खण्ड बड़ीबनहरी के कक्ष क्रमांक पी.-182 की 42.831 हेक्टेयर कुल 426.763 हेक्टेयर वन भूमि मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि :- 31-03-2017
स्थान:-भोपाल


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of Forests
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal